

दिनांक 7 दिसम्बर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए
दालों पर निर्यात सब्सिडी

183. श्री धर्मेन्द्र कश्यप:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का दालों की कम घरेलू कीमतों को देखते हुए देश में दाल व्यापारियों को निर्यात सब्सिडी प्रदान करने का विचार है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं कि आयातित दालों की लागत न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर या उससे अधिक बनी रहे;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ.) क्या सरकार का तुअर और उड़द दालों की मुक्त आयात नीति की समीक्षा करने का विचार है; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): दाल कारोबारियों को निर्यात सब्सिडी देने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) से (च): सरकार आयातित माल की लदान लागत सहित घरेलू उत्पादन, उपलब्धता और कीमत परिदृश्य की कड़ी और निरंतर निगरानी के आधार पर दालों की आयात नीति तैयार करती है। सरकार ने देश भर के सभी उपभोक्ताओं के लिए यथोचित कीमतों पर पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करते हुए घरेलू किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए उत्पादन, उपलब्धता, कीमतों और बाजार की स्थितियों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के बाद दिनांक 31 मार्च 2023 तक तुअर और उड़द के आयात को 'मुक्त' श्रेणी में रखा है।

दिनांक 07 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए
कृषि निर्यात नीति

186. श्री टी.आर. बालू:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार इस विचार से सहमत है कि भारतीय किसानों के आर्थिक संकट का समाधान एक स्थिर और पूर्वानुमेय कृषि निर्यात नीति के माध्यम से लिया जा सकता है जिसका उद्देश्य निर्यातोन्मुख कृषि उत्पादन और प्रसंस्करण से लेकर परिवहन, अवसंरचना और वैश्विक बाजार पहुँच तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करना हो ;
- (ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने और इस प्रकार किसानों को वैश्विक बाजार के लिए सक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और
- (ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) भारतीय किसानों की आय में सुधार के लिए सरकार कृषि निर्यात के महत्व से अवगत है और इसलिए उसने 2018 में एक व्यापक कृषि निर्यात नीति शुरू की थी। कृषि निर्यात नीति के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- I. हमारे निर्यात बास्केट, गंतव्यों में विविधता लाने और जल्द खराब होने वाली वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने सहित उच्च मूल्य और मूल्य वर्धित कृषि निर्यात को बढ़ावा देना।
- II. नए, स्वदेशी, जैविक, जातीय, पारंपरिक और गैर-पारंपरिक कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना।
- III. बाजार पहुँच को आगे बढ़ाने, बाधाओं से निपटने और स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी मुद्दों से निपटने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करना।
- IV. वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ जल्द से जल्द एकीकरण करके विश्व कृषि निर्यात में भारत की हिस्सेदारी को दोगुना करने का प्रयास करना।
- V. किसानों को विदेशी बाजार में निर्यात के अवसरों का लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाना

(ख) कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना एक सतत प्रक्रिया है। सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य/जिला स्तर पर कई कदम उठाए हैं। राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं और कई राज्यों में राज्य स्तरीय निगरानी समितियां (एसएलएमसी), कृषि निर्यात के लिए नोडल एजेंसियां और क्लस्टर स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए देश और उत्पाद-विशिष्ट कार्य योजना भी तैयार की गई है। यह भी निर्णय लिया गया है कि वाणिज्य विभाग के निर्यात हब पहल के रूप में जिले का उपयोग कृषि निर्यात नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाएगा।

किसानों, किसान-उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और सहकारी समितियों को निर्यातकों के साथ बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए एक किसान कनेक्ट पोर्टल विकसित किया गया है। निर्यात-बाजार लिंकेज प्रदान करने के लिए क्लस्टरों में क्रेता-विक्रेता बैठकें (बीएसएम) आयोजित की गई हैं। निर्यात के अवसरों का आकलन और दोहन करने के लिए विदेशों में भारतीय मिशनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियमित बातचीत की गई। भारतीय मिशनों के माध्यम से देश विशिष्ट बीएसएम का भी आयोजन किया गया है।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त संगठन के पास कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का अधिदेश है। एपीडा अपनी निर्यात संवर्धन स्कीम के विभिन्न घटकों के अंतर्गत निर्यातकों को सहायता प्रदान की है।

वाणिज्य विभाग बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम, एपीडा की निर्यात संवर्धन स्कीमों और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) आदि के माध्यम से कृषि उत्पादों के निर्यात सहित निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दिनांक 7 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

टूटे चावल का निर्यात

3. श्रीमती कविता मलोथू :
डॉ.जी.रणजीत रेड्डी :
डॉ.वेंकटेश नेता बोरलाकुंता :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच नहीं है कि भू-राजनीतिक कारणों से अंतरराष्ट्रीय बाजार में टूटे चावल की भारी मांग रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच नहीं है कि पिछले चार वर्षों में टूटे चावल के निर्यात में 40 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अप्रैल-अगस्त, 2022 के बीच 21.03 लाख टन टूटे चावल का निर्यात किया गया; और

(ड.) यदि हां, तो देश से टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): जी हां। भारतीय टूटे चावल की अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग में भू-राजनीतिक कारणों से अचानक वृद्धि हुई है। भारत के टूटे चावल का निर्यात 2021-22 (अप्रैल-सितंबर) में 17.86 लाख एमटी से बढ़कर 2022-23 (अप्रैल-सितंबर) में 23.82 लाख एमटी हो गया है, जिससे 33.37% की वृद्धि दर्ज हुई।

(ग): जी नहीं। भारत से टूटे चावल का निर्यात पिछले चार वर्षों में लगभग तीन गुना बढ़ गया है यानी मात्रा एवं मूल्य के संदर्भ में 2018-19 में 12.21 लाख एमटी से बढ़कर 2021-22 में 38.90 लाख एमटी हो गया है, अर्थात् 2018-19 में 369.58 मिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2021-22 में 1132.94 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है। तथापि, महामारी और अफ्रिका के प्रमुख आयातक देशों की घरेलू नीतियों के कारण 2019-20 में टूटे हुए चावल के निर्यात में कमी देखी गई है। विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:-

वर्ष	मात्रा एम टी में	मूल्य मिलियन अमरीकी डॉलर में
2018-19	12,21,617	369.58
2019-20	2,70,338	82.48
2020-21	20,64,562	595.69
2021-22	38,90,866	1132.94
2021-22 (अप्रैल-सितंबर)	17,86,435	516.89
2022-23 * (अप्रैल-सितंबर)	23,81,657	764.81

स्रोत: डीजीसीआईएस, कोलकाता।

* 2022-23 के आंकड़े अनंतिम हैं और इसमें परिवर्तन हो सकता है।

(घ): अप्रैल-अगस्त, 2022 की अवधि के दौरान भारत से कुल 21.64 लाख एमटी टूटे चावल का निर्यात किया गया।

(ङ): टूटे हुए चावल का उपयोग मुख्य रूप से इथेनॉल उत्पादन और पॉउल्ट्री और पशु चारे के रूप में किया जाता है। जैसा कि उपरोक्त पैरा-(ग) की तालिका से स्पष्ट है, भारतीय टूटे चावल की मांग में मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति के कारण से अचानक वृद्धि हुई है। इसके अलावा, कृषि और किसान कल्याण विभाग के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी 2022-23 के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार, चावल का उत्पादन चालू वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य से कम होने का अनुमान है। इसलिए, घरेलू बाजार में टूटे चावल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने टूटे चावल के निर्यात पर 9 सितंबर, 2022 से रोक लगा दी है।

दिनांक 07 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिये जाने के लिए

मसाला पार्क

*05 श्री धनुष एम.कुमार:
श्री गजानन कीर्तिकर:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु और महाराष्ट्र सहित देश में कितने मसाला पार्क स्थापित किए गए हैं
- (ख) क्या सरकार का मसालों का उत्पादन करने वाले किसानों को बेहतर मूल्य दिलाकर उन्हें सशक्त करने हेतु इन राज्यों में ऐसे पार्क स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या इन मसाला पार्कों में अपने उत्पादों के प्रसंस्करण हेतु स्थानीय किसानों, व्यापारियों, निर्यातकों और अन्य हितधारकों के लिए कोई सुविधाएं प्रदान की गई हैं;
- (घ) यदि हां, तो उक्त पार्कों से सृजित रोजगार के अवसरों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ.) क्या सरकार और राज्य इन पार्कों की स्थापना में होने वाले व्यय को साझा कर रहे हैं; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पार्कों पर सरकार द्वारा कुल कितनी राशि व्यय की गई है और इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और ऐसे पार्कों की स्थापना के संबंध में सरकार के पास कितने प्रस्ताव लंबित हैं तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)**

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"मसाला पार्क" के संबंध में लोकसभा में दिनांक 7 दिसंबर, 2022 को उत्तर के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 5 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): मसाला बोर्ड ने देश भर में आठ फसल विशिष्ट मसाला पार्क स्थापित किए हैं। मसाला पार्कों का विवरण नीचे दिया गया है:

मसाला पार्क का नाम	राज्य	शामिल मसाले
छिंदवाड़ा	मध्य प्रदेश	लहसुन और मिर्च
गुना	मध्य प्रदेश	धनिया
गुंटूर	आंध्र प्रदेश	मिर्च
जोधपुर	राजस्थान	जीरा
रामगंजमंडी	राजस्थान	धनिया
पुट्टाडी	केरल	इलायची और काली मिर्च
रायबरेली	उत्तर प्रदेश	पुदीना
शिवगंगा	तमिलनाडु	मिर्च और हल्दी

वर्तमान में, अतिरिक्त मसाला पार्कों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ग) और (घ): मसाला पार्क का उद्देश्य स्थानीय किसानों, व्यापारियों, निर्यातकों और अन्य हितधारकों द्वारा उपयोग के लिए सफाई, छंटाई, ग्रेडिंग, पिसाई, तेल निष्कर्षण और मसालों की पैकेजिंग सहित सामान्य प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन सुविधाएं स्थापित करना है। इसके अलावा, निर्यातकों, व्यापारियों और किसान उत्पादक संगठनों को अपनी स्वयं की मसाला प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए गुना, जोधपुर, रामगंजमंडी, गुंटूर, रायबरेली और शिवगंगा के मसाला पार्कों में भूखंड आवंटित किए गए हैं। मसाला पार्क बड़ी संख्या में रोजगार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों तरह के अवसर प्रदान कर रहे हैं। मसाला पार्कों में उपलब्ध प्रसंस्करण सुविधाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

मसाला पार्क का नाम	प्रसंस्करण सुविधाओं का विवरण
छिंदवाड़ा	लहसुन शुष्क/निर्जलीकरण और मिर्च निष्कर्षण
गुना	बीज मसालों विशेष रूप से धनिया के लिए सफाई, ग्रेडिंग, रंग छंटाई, पिसाई, पैकेजिंग सुविधाएं
गुंटूर	मिर्च की सफाई, छंटाई, पिसाई और पैकेजिंग की सुविधाएं
जोधपुर	बीज मसालों विशेष रूप से जीरा के लिए सफाई, ग्रेडिंग, रंग छंटाई, पिसाई, पैकेजिंग सुविधाएं

रामगंजमंडी	बीज मसालों विशेष रूप से धनिया के लिए सफाई, ग्रेडिंग, रंग छंटाई, पिसाई, पैकेजिंग सुविधाएं
पुट्टाडी	इलायची और काली मिर्च की सफाई, ग्रेडिंग, पिसाई, पैकेजिंग सुविधाएं
रायबरेली	पुदीना और अन्य जड़ी बूटियों के लिए तेल निष्कर्षण सुविधाएं
शिवगंगा	मिर्च और हल्दी की सफाई, ग्रेडिंग, रंग छंटाई, पिसाई, पैकेजिंग सुविधाएं

(ड) और (च): निर्यात अवसंरचना विकास के लिए राज्यों को सहायता (एसाइड) स्कीम के तहत भारत सरकार की वित्तीय सहायता से मसाला बोर्ड द्वारा मसाला पार्क स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने गुंटूर मसाला पार्क की स्थापना के लिए वित्तीय रूप से योगदान दिया है। एसाइड स्कीम के बंद होने के बाद, वाणिज्य विभाग द्वारा निर्यात व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) कार्यान्वित की जा रही है जिसमें स्पाइस पार्क सहित निर्यात अवसंरचना की स्थापना या उन्नयन के लिए कुल परियोजना लागत में क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा लगाई गई मैचिंग इक्विटी तक (पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित परियोजनाओं के लिए कुल इक्विटी का 80% तक और अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कुल इक्विटी का 50% तक) सहायता अनुदान के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, जिन राज्यों में अपेक्षाकृत बहुत अच्छी निर्यात अवसंरचना नहीं है, अच्छी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए संस्थागत क्षमता की कमी है, लेकिन सकारात्मक क्षमता है, वहाँ यह अनुदान कुल इक्विटी का 80% तक हो सकता है।

मसाला पार्कों के लिए वित्त-पोषण स्रोत का विवरण नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

मसाला पार्क	खर्च की गई धनराशि (₹ करोड़)	वित्त पोषण स्रोत (₹ करोड़)
छिंदवाड़ा , मध्य प्रदेश	20.50	एएसआईडीई स्कीम : 19.80 स्पाइसेस बोर्ड की योजना स्कीम : 0.70
पुट्टाडी , केरल	27.37	स्पाइसेस बोर्ड की योजना स्कीम : 27.37
जोधपुर, राजस्थान	30.72	स्पाइसेस बोर्ड की योजना स्कीम : 30.72
शिवगंगा , तमिलनाडु	23.80	स्पाइसेस बोर्ड की योजना स्कीम : 23.80
गुना , मध्य प्रदेश	40.02	एएसआईडीई योजना : 25.00 स्पाइसेस बोर्ड की योजना स्कीम : 15.02
गुंटूर, आंध्र प्रदेश	19.50	स्पाइसेस बोर्ड की योजना स्कीम : 7.90 आंध्र प्रदेश सरकार : 11.60
रामगंजमंडी (कोटा), राजस्थान	16.86	एएसआईडीई स्कीम : 10.00 स्पाइसेस बोर्ड की योजना स्कीम : 6.86
रायबरेली , उत्तर प्रदेश	17.43	एएसआईडीई स्कीम : 15.00 स्पाइसेस बोर्ड की योजना स्कीम : 2.43

दिनांक 7 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

मिर्च का उत्पादन और निर्यात

23. श्री श्रीधर कोटागिरी :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) पिछले तीन वर्षों में मिर्च का कुल उत्पादन और निर्यात कितना रहा;
(ख) क्या सरकार का विचार शीर्ष मिर्च उत्पादक और निर्यातक के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए एक अलग मिर्च बोर्ड का गठन करने का है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या सरकार ने मिर्च उद्योग की समस्याओं के समाधान के लिए कोई प्रयास किया है; और
(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) : विगत तीन वर्षों में मिर्च का कुल उत्पादन और निर्यात नीचे दिया गया है:

भारत से मिर्च का निर्यात और उत्पादन			
वर्ष	निर्यात		उत्पादन
	मात्रा (एमटी)	मूल्य (लाख रुपये)	मात्रा (एमटी)
2018-19	468500	541117.50	1515560
2019-20	496000	671039.53	1841800
2020-21	649815	924126.56	2049213
2021-22 (अनु.)	557168	858188.59	1866108
स्रोत (उत्पादन): राज्य कृषि / बागवानी विभाग/डीएएसडी कोडिफाइड			
(अनु.): अनुमान;			
स्रोत: (निर्यात: डीजीसीआई एंड एस, कलकत्ता/शिपिंग बिल/निर्यातक रिटर्न।			

(ख) और (ग): मिर्च के उत्पादन, अनुसंधान, विकास और घरेलू विपणन का अधिदेश केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में निहित है। स्पाइसेस बोर्ड को मिर्च सहित मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने का अधिदेश है। इसके तहत, स्पाइसेस बोर्ड फसल कटाई के बाद सुधार, बाजार लिकेज बनाने और मिर्च सहित मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियां कर रहा है। वर्तमान में, मिर्च के उत्पादन, गुणवत्ता प्रबंधन और निर्यात प्रोत्साहन के पहलुओं को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और मसाला बोर्ड द्वारा कवर किया जाता है।

(घ) और (ङ): स्पाइस बोर्ड की योजना 'मसालों का निर्यात संवर्धन और गुणवत्ता सुधार तथा इलायची अनुसंधान और विकास की एकीकृत स्कीम' शीर्षक वाली योजना के निर्यात विकास और संवर्धन घटक का उद्देश्य मिर्च सहित मसालों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बढ़ावा देना, अवसंरचना विकास, मूल्यवर्धन, व्यापार संवर्धन आदि के लिए निर्यातकों को सहायता देना है। इसके अलावा, भारत सरकार, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के माध्यम से एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत संबंधित राज्य बागवानी मिशनों (एसएचएम) के जरिए देश में मिर्च के विकास के लिए विभिन्न विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करती है। इन मिशन कार्यक्रमों का उद्देश्य घरेलू और निर्यात बाजार में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उत्पाद के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में वृद्धि करना है।

इसके अलावा, मसाला बोर्ड द्वारा मिर्च उद्योग को सहायता देने के लिए कई अन्य उपाय किए गए हैं जैसे मिर्च सहित मसालों के प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और भंडारण के लिए मसाला पार्कों की स्थापना ; मिर्च कार्य बल समिति का गठन ; गुणवत्ता सुधार और उद्यमशीलता विकास के उद्देश्य से मिर्च के हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना; आयातक देशों के गुणवत्ता विनिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता आकलन प्रयोगशालाओं के माध्यम से मिर्च के निर्यात खेपों का गुणवत्ता मूल्यांकन।

दिनांक 7 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए
भारत व्यापार संवर्धन संगठन

32. श्री दिलेश्वर कामैत :
श्रीमती लॉकेट चटर्जी :
श्री सुनील कुमार पिन्डू :
श्रीमती नवनित रवि राणा :
श्रीमती रीति पाठक :
श्री जुगल किशोर शर्मा :
श्री रमेश चन्द्र कौशिक :
श्रीमती गीता कोडा :
श्रीमती रमा देवी :
श्री अजय कुमार मंडल :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) घरेलू व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों को बढ़ावा देने के लिए भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) भौतिक बुनियादी ढांचे और व्यावसायिक गतिविधियों में सेवाओं के प्रबंधन का किस सीमा तक विकास किया जा रहा है; और
- (ग) आर्थिक क्रियाकलापों के सृजन, निर्यात और सेवाओं के विकास, घरेलू स्रोतों से निवेश संवर्धन के साथ-साथ रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के विकास हेतु आर्थिक क्षेत्रों की इकाइयों की कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) : घरेलू व्यवसायों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आईटीपीओ द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण निम्नलिखित है:

- (i) विस्तृत व्यापार मेला परिसर, प्रगति मैदान का प्रबंधन करना और प्रगति मैदान तथा भारत के अन्य केंद्रों में इसके प्रदर्शनी परिसर में विभिन्न व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन करना।

- (ii) भारत और विदेश दोनों के अन्य मेला आयोजकों द्वारा व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए प्रगति मैदान के उपयोग की सुविधा प्रदान करना।
- (iii) भारतीय आपूर्तिकर्ताओं और विदेशी खरीदारों के बीच स्थायी संपर्क स्थापित करना।
- (iv) खरीदारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पाद विकास और अनुकूलन में भारतीय कंपनियों की सहायता करना।
- (v) खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ लाने की दृष्टि से क्रेता-विक्रेता बैठकें और अन्य विशेष भारत शो आयोजित करना।
- (vi) विदेशी व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना।
- (vii) विदेशी खरीदारों के आने के लिए उत्पाद प्रदर्शन की व्यवस्था करना।
- (viii) व्यापार से संबंधित विषयों पर सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशालाओं का आयोजन करना।
- (ix) निर्यात प्रोत्साहन प्रयासों में लघु और मध्यम स्तर की इकाइयों को प्रोत्साहित करना।
- (x) भारत के विदेश व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में राज्य सरकारों की भागीदारी और समर्थन को सूचीबद्ध करना।

(ख) : आईटीपीओ अपनी वृहद परियोजना अर्थात् प्रगति मैदान परिसर का विश्व स्तरीय प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र में पुनर्विकास को कार्यान्वित कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र (आईईसीसी) परियोजना में 7 प्रदर्शनी हॉल और सम्मेलन केन्द्र शामिल हैं। इन 7 प्रदर्शनी हॉल में से, चार नए प्रदर्शनी हॉल (प्रदर्शनी हॉल 2, 3, 4 और 5) जिसमें लगभग 72,000 वर्गमीटर के प्रदर्शनी क्षेत्र को प्रचालंशील बनाया गया है। ये नए प्रदर्शनी हॉल एमएसएमई क्षेत्र से महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व के साथ आयोजनों और प्रदर्शनियों की मेजबानी करते हैं और इस तरह एमएसएमई क्षेत्र से संबद्ध लोगों के व्यापार को बढ़ावा देते हैं और उनकी आय के स्तर को बढ़ाते हैं। आईटीपीओ के प्रमुख आयोजन जैसे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) और आहार -अंतरराष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला भी इन नए प्रदर्शनी हॉल में आयोजित किए गए थे। इस नए प्रदर्शनी परिसर में अधिकांश विश्व स्तरीय व्यापार आयोजन आयोजित किए जाएंगे, जो देश में एमआईसीई क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करेंगे।

(ग) : विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों से की जा रही है अर्थात्: - अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि का सृजन करना; माल और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना; घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा देना; रोजगार के अवसरों का सृजन करना और अवसंरचना विकास करना। इसके अतिरिक्त, एसईजेड नीति की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और एसईजेड की नीति और प्रचालन रूपरेखा पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट/सुझावों के आधार पर, सरकार समय-समय पर एसईजेड अधिनियम/नियमों के सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए आवश्यक उपाय करती है।

दिनांक 07 दिसम्बर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

आयात-निर्यात और व्यापार अधिशेष

36 श्री सी.आर. पाटिल:

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी:

श्री बृजभूषण शरण सिंह:

श्री पी.पी. चौधरी:

डॉ. रमापति राम त्रिपाठी:

श्री संगम लाल गुप्ता:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत के कुल आयात-निर्यात और व्यापार अधिशेष का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने भारत के व्यापार अधिशेष को बढ़ाने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारत के संपूर्ण निर्यात (व्यापार और सेवाएं), आयात और व्यापार शेष का ब्यौरा निम्नलिखित हैं:

वर्ष	निर्यात (मूल्य अमेरिकी बिलियन डॉलर में)	आयात (मूल्य अमेरिकी बिलियन डॉलर में)
	440.05	480.21
	498.62	583.11
	538.08	640.09
	526.55	602.98
	497.90	511.12
	676.53	760.06

स्रोत: आरबीआई और डीजीसीआई एंड एस्, कोलकाता (*अंतिम)

(ख) और (ग): भारत के निर्यात और व्यापार शेष को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- विदेश व्यापार नीति (2015-20) 31.03.2023 तक बढ़ा दी गई है।
- शिपमेंट से पहले और बाद में रुपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज समकरण योजना भी 31.03.2024 तक बढ़ायी गयी है।
- निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमें नामतः निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस), बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम के माध्यम से सहायता प्रदान की गई।
- श्रम उन्मुख कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्रीय लेवी और करों में छूट (आरओएससीटीएल) स्कीम 07.03.2019 से शुरू की गई है।

- (v) निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम 01.01.2021 से शुरू की गई है।
- (vi) व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निर्यातकों द्वारा निशुल्क व्यापार समझौता (एफटीए) का उपयोग को बढ़ाने के लिए उद्गम प्रमाणपत्र के लिए सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है।
- (vii) विशिष्ट कार्य योजनाओं के अनुपालन द्वारा सेवा निर्यात को बढ़ावा देने और उसमें विविधता लाने के लिए 12 चैंपियन सेवा क्षेत्रों की पहचान की गई है।
- (viii) प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करने के द्वारा इन उत्पादों का निर्यात करने के लिए अडचनों को दूर करने और जिले में रोजगार सृजित करने के लिए स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं को सहायता प्रदान करने के लिए निर्यात हब के रूप में जिलों को लांच किया गया है।
- (ix) भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश के लक्ष्यों को बढ़ावा देने हेतु विदेशों में भारतीय मिशनों की सक्रिय भूमिका में वृद्धि की गई है।
- (x) कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में विविध राहत उपायों के माध्यम से, घरेलू उद्योग विशेष रूप से एमएसएमई, जिनका निर्यात में प्रमुख हिस्सा है, को सहायता देने के लिए पैकेज की घोषणा की गई है।

दिनांक 07 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

सी. एस. आर. निधि

62. श्री अशोक महादेवराव नेते:
श्री अशोक कुमार रावत:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय के अधीनस्थ विभिन्न उपक्रमों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत निधि आवंटित की है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत, विशेषरूप से जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में किए गए व्यय का उपक्रम-वार ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान उन जिलों के नाम क्या हैं और योजना के तहत लाभान्वित लाभार्थियों की स्थान-वार संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश में, विशेषरूप से पिछड़े और अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में सीएसआर के तहत निधियों के व्यय के लिए प्रभावी कदम उठाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त योजना के तहत अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों, विशेष रूप से महाराष्ट्र के गढ़चिरोली संसदीय क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय क्षेत्र को शामिल किया है या शामिल करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): जी हां, मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) ने सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए ढाँचे के अन्तर्गत परियोजनाएं चलाने के लिए निधियां आवंटित की हैं ।

(ख): मंत्रालय के अधीन सीपीएसयू द्वारा विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान परियोजनाओं पर शीर्ष-वार और स्थान-वार आवंटित और खर्च की गई कुल सीएसआर निधियों का विवरण

अनुबंध-1 में देखा जा सकता है। सामान्य सार्वजनिक उपयोगिताओं, सार्वजनिक कल्याण निधियों में योगदान आदि जैसी परियोजनाओं के लिए लाभग्राहियों की संख्या सम्बंधी स्थान-वार आंकड़े संकलित करना कठिन है। सीएसआर के तहत खर्च की जाने वाली धनराशि सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार है।

(ग) से (ङ): कई परियोजनाओं के तहत सीएसआर खर्च का जोर देश के पिछड़े और अनुसूचित जाति/जनजाति बहुल क्षेत्रों सहित समाज के सीमांत और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए है। कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135 और उसके तहत अधिसूचित कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के सीएसआर प्रावधानों के अनुसार, सीपीएसयू का प्रबंधन अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और जनजाति बहुल क्षेत्रों आदि में शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक विकास और राहत एवं कल्याण सहित अधिनियम की अनुसूची VII में सूचीबद्ध पात्र गतिविधियों के लिए सीएसआर क्रियाकलाप करने का निश्चय कर सकता है। सार्वजनिक उद्यम विभाग ने सीपीएसयू द्वारा सीएसआर व्यय पर हर साल थीम आधारित केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए सभी प्रशासनिक मंत्रालयों और सीपीएसयू को दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन अनुदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि प्रत्येक विषयगत कार्यक्रम के लिए सीएसआर व्यय सीपीएसयू के वार्षिक सीएसआर व्यय का लगभग 60% होना चाहिए और नीति आयोग द्वारा चिन्हित आकांक्षी जिलों को वरीयता दी जा सकती है।

अनुबंध-1

क्र.सं.	सीपीएसयू का नाम	वित्तीय वर्ष में सीएसआर व्यय (लाख रुपये में)				कवर किए गए राज्य	मुख्य क्षेत्र जिनके तहत सीएसआर राशि खर्च की गई
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23		
i)	एमएमटीसी लिमिटेड	176.81**	शून्य*	शून्य *	शून्य*	राजस्थान , यूपी , तमिलनाडु , ओडिशा और दिल्ली	हेल्थकेयर ,स्वच्छ भारत ,स्वच्छ गंगा , कौशल विकास ,समाज कल्याण
नोट: वर्ष 2020-21 में एमएमटीसी ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए पीएम केयर फंड में 2,82,546 /- रुपये का स्वैच्छिक योगदान दिया है।							
ii)	भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड (एसटीसी लिमिटेड)	1.40***	शून्य*	शून्य*	शून्य*	पैन इंडिया	पीएम केयर फंड
iii)	पीईसी लिमिटेड	शून्य*	शून्य *	25.42	शून्य	लागू नहीं	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ)
नोट: पीईसी लिमिटेड द्वारा 25.42 लाख रुपये की अव्ययित राशि (आगे बढ़ायी गयी) दिसंबर, 2021 में "प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष" में स्थानांतरित कर दी गई हैं।							
iv)	भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ)	293.15	शून्य*** *	731.11	-	पैन इंडिया , ओडिशा , हरियाणा ,नई दिल्ली और आकांक्षी जिले	पीएम केयर्स फंड, स्वच्छ भारत, शिक्षा, स्वच्छ गंगा , स्वास्थ्य सेवा, कला और संस्कृति
v)	कर्नाटक व्यापार संवर्धन संगठन (केटीपीओ)	12.00	34.40		-	कर्नाटक	स्वास्थ्य ,शिक्षा
vi)	तमिलनाडु व्यापार संवर्धन संगठन (टीएनटीपीओ)	60.79	10.00	शून्य	शून्य	पैन इंडिया और तमिलनाडु	स्वच्छ भारत ,स्वच्छ गंगा ,समाज कल्याण और आकांक्षी जिलों का विकास
नोट: 2021-22 के लिए:- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उप धारा 6 के अनुसार, टीएनटीपीओ ने इंडिया बैंक वलसारावक्कम शाखा, चेन्नई में 51.59 लाख रुपये की राशि जमा करके "टीएनटीपीओ-अनस्पेंट कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट" के नाम से एक अलग बैंक खाता खोला है। 2022-23:- के लिए:- वर्ष 2022-23 के लिए सीएसआर फंड के प्रावधान जनवरी-2023 के दौरान निर्धारित किए जाएंगे ।							
vii)	एसटीसीएल लिमिटेड	शून्य*	शून्य*	शून्य*	शून्य*	लागू नहीं	लागू नहीं

viii)	ईसीजीसी लिमिटेड	1182.51	725.26	859.69	153.06 (जारी परियोजना)	पैन इंडिया	शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, समाज कल्याण, स्वच्छता, कौशल विकास, सौर ऊर्जा, पीएम केयर्स फंड, स्वच्छ भारत, स्वच्छ गंगा , महिला अधिकारिता।
ix)	राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम (एनआईसीडीसी) लिमिटेड	11.77	11.97	18.58	शून्य	पैन इंडिया	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ)
नोट: 2022-23 के लिए - जिन परियोजनाओं पर सीएसआर आवंटित धन खर्च किया जाना है, उनकी अभी तक पहचान नहीं की गई है।							
x)	इंडिया इंटरनेशनल एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड	5.98	9.41	12.14	-	पैन इंडिया	स्वच्छ भारत
xi)	एनआईसीडीसी नीमराना सोलर पावर लिमिटेड	11.23	2.96	-	-	पैन इंडिया	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ)

*: कोई सीएसआर आवंटन नहीं क्योंकि विगत तीन वर्षों का औसत शुद्ध लाभ नकारात्मक है।

** : इसमें विगत वर्षों से आगे बढ़ाई गई 3.81 लाख रू. की राशि और अनाबंटित सीएसआर निधियां शामिल हैं।

***: पिछले वित्तीय वर्ष से आगे की राशि।

****: कोविड-19 के कारण और कंपनी की वित्तीय स्थिति के कारण भी सीएसआर गतिविधियों को शुरू नहीं किया जा सका और अगले वर्ष के लिए आगे बढ़ाया गया।

दिनांक 07 दिसम्बर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात और आयात

76 श्री दीपक अधिकारी (देव):

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क): पिछले पांच वर्षों के दौरान देश के निर्यात और आयात का वर्ष और राशि-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान शीर्ष पांच निर्यातक और आयातक देशों के नाम क्या हैं और कितनी धनराशि का व्यापार किया है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): विगत पांच वर्षों में समग्र (व्यापारिक वस्तुओं और सेवाओं) का निर्यात और आयात का मूल्य निम्नानुसार है:

(मूल्य अमेरिकी बिलियन डॉलर में)

वर्ष	निर्यात	आयात
2017-18	498.61	583.11
2018-19	538.08	640.09
2019-20	526.55	602.98
2020-21	497.90	511.12
2021-22	676.53	760.06

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता

(ख): विगत तीन वर्षों में 5 शीर्ष देशों को भारत के व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात निम्नानुसार है:

(मूल्य अमेरिकी बिलियन डॉलर में)

क्र.सं.	देश	2019-20	2020-21	2021-22
1	यूएसए	53.1	51.6	76.2
2	संयुक्त अरब अमीरात	28.9	16.7	28.0
3	चीन लोक गणराज्य	16.6	21.2	21.3
4	बांग्लादेश लोक गणराज्य	8.2	9.7	16.2
5	नीदरलैंड	8.4	6.5	12.5

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता।

विगत तीन वर्षों में शीर्ष 5 देशों से भारत के व्यापारिक वस्तुओं का आयात निम्नानुसार है:

(मूल्य अमेरिकी बिलियन डॉलर में)

क्र.सं.	देश	2019-20	2020-21	2021-22
1	चीन लोक गणराज्य	65.3	65.2	94.6
2	संयुक्त अरब अमीरात	30.3	26.6	44.8
3	यूएसए	35.8	28.9	43.3
4	सऊदी अरब	26.9	16.2	34.1
5	इराक	23.7	14.3	31.9

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता।

वृषं

दिनांक 7 दिसम्बर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

इस्पात और चावल की बढ़ती कीमतें

100. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या इस्पात और चावल की बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इन दो वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए हैं;
- (ख) यदि हां, तो क्या सरकार का कीमतों में गिरावट को देखते हुए इन दोनों वस्तुओं के निर्यात संबंधी प्रतिबंधों की समीक्षा करने का विचार है; और
- (ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार और व्यापार संतुलन बढ़ाने के लिए कई वस्तुओं के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

7 उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग

दिनांक 07 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

वियतनाम के साथ व्यापार

141. श्री अब्दुल खालेक:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान वियतनाम के साथ व्यापार की कुल मात्रा और मूल्य कितना है; और
(ख) वर्ष 2025 तक दोनों देशों के मध्य अनुमानित व्यापार मूल्य सहित वियतनाम के साथ व्यापार, आयात के साथ-साथ निर्यात के प्रमुख क्षेत्र कौन-कौन से हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): विगत पांच वर्षों में वियतनाम के साथ भारत का व्यापार निम्नानुसार है:

(मूल्य मिलियन यूएसडी में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
भारत और वियतनाम के बीच कुल व्यापार	12831.64	13699.61	12343.32	11120.30	14141.19

(स्रोत: डीजीसीआई एंड एस)

(ख): वियतनाम से आयात के लिए प्रमुख सेक्टरों में दूरसंचार उपकरण, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉपर और इसके उत्पाद, कंप्यूटर हार्डवेयर/बाह्य सामग्री और अकार्बनिक रसायन शामिल हैं। वियतनाम को निर्यात के लिए प्रमुख सेक्टरों में लोहा और इस्पात, गोजातीय मांस, कच्चा कपास, समुद्री उत्पाद और ऐलुमिनियम और इसके उत्पाद हैं। यदि 2016-17 से 2021-22 तक वियतनाम के साथ द्विपक्षीय व्यापार में 6.95% की वर्तमान चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) को बनाए रखा जाता है, तो दोनों देशों के बीच व्यापार का अनुमानित मूल्य 2025-26 तक 18.50 बिलियन अमरीकी डॉलर हो जाएगा।

दिनांक 07 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

हल्दी का उपभोग

156. श्री अरविंद धर्मापुरी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दस वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में हल्दी की राज्य-वार खपत की मात्रा और मूल्य कितना है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान हल्दी की घरेलू खपत को बढ़ावा देने के लिए हल्दी के प्रचार-प्रसार के लिए प्रदान की जाने वाली / व्यय की गयी प्रस्तावित राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): देश में हल्दी की खपत का राज्यवार अनुमान उपलब्ध नहीं है, तथापि, पिछले 10 वर्षों के लिए हल्दी उत्पादन, निर्यात और आयात के आंकड़ों के आधार पर हल्दी की अनुमानित घरेलू उपलब्धता नीचे दी गई है:

वर्ष	घरेलू उपलब्धता * (टन)
2012-13	909679
2013-14	873665
2014-15	906955
2015-16	908239
2016-17	822919
2017-18	772588
2018-19	854105
2019-20	1069681
2020-21	965698
2021-22	1205636

*घरेलू उपलब्धता की गणना (उत्पादन + आयात)–निर्यात के रूप में की जाती है ।
पिछले दस वर्षों में हल्दी के राज्य-वार उत्पादन के आंकड़े **अनुबंध** में संलग्न हैं।

(ख) और (ग): सरकार स्पाइसेस बोर्ड के माध्यम से अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर विभिन्न अभियानों के माध्यम से हल्दी सहित भारतीय मसालों को बढ़ावा दे रही है। उन अभियानों में उत्पादन, फसलोपरांत प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन आदि के बारे में प्रामाणिक और वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के अलावा भारतीय मसालों के पाक, औषधीय और औद्योगिक अनुप्रयोगों को शामिल किया गया है। मसालों सम्बंधी अभियान घरेलू उपभोक्ताओं सहित दुनिया भर में मसालों के प्रति उत्साही लोगों के उद्देश्य से किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू खपत को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा, बोर्ड भारतीय मसालों के मूल्य, विशिष्टता और गुणों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रभावकों और मीडिया घरानों के सहयोग से विभिन्न फोकस कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए मसाला बोर्ड की 'मसालों का निर्यात संवर्धन और गुणवत्ता सुधार और इलायची के अनुसंधान और विकास के लिए एकीकृत स्कीम' नामक स्कीम को मंजूरी दे दी गई है। उपर्युक्त स्कीम के निर्यात विकास और संवर्धन (ईडीपी) घटक का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हल्दी और अन्य मसालों को बढ़ावा देना, अवसंरचना विकास, मूल्य संवर्धन, व्यापार संवर्धन आदि के लिए निर्यातकों को सहायता देना है। इस योजना के तहत 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए ईडीपी घटक को 16.40 करोड़ रुपये का वार्षिक परिव्यय आवंटित किया गया है, जिसका उपयोग हल्दी और अन्य मसालों के अंतर्राष्ट्रीय संवर्धन के संबंध में गतिविधियों/ कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा। इसके अलावा, भारत सरकार कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के माध्यम से बागवानी फसलों के लिए विभिन्न विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करती है, जिसमें उत्पादन, उत्पादकता और उपज की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत राज्य विभागों (एसएचएम) के माध्यम से हल्दी को शामिल किया गया है।

पिछले दस वर्षों में हल्दी का राज्यवार उत्पादन (उत्पादन '000 टन में)

राज्य	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
आंध्र प्रदेश	438.912	151.906	143.230	121.117	79.729	79.729	69.410	71.321	73.244	74.687
अरुणाचल प्रदेश	2.857	2.857	3.500	3.840	4.000	3.148	2.977	2.977	1.952	1.241
असम	15.583	15.782	16.335	16.184	16.747	20.787	19.395	22.829	24.665	21.486
बिहार	3.614	3.015	3.592	2.630	3.082	2.829	3.082	2.889	2.874	2.797
छत्तीसगढ़	0.945	0.964	0.957	1.523	0.997	0.963	1.021	1.157	1.157	1.645
गुजरात	65.948	52.063	64.067	69.247	14.630	15.782	17.386	18.181	18.191	19.198
हरियाणा	23.836	23.836	23.836	23.836	4.400	2.180	2.195	4.061	3.009	2.938
हिमाचल प्रदेश	0.158	1.004	0.142	0.113	0.112	0.085	0.170	0.197	0.810	0.821
जम्मू और कश्मीर	0.015	0.018	0.012	0.014	0.014	0.012	0.011	0.004	0.011	0.008
कर्नाटक	92.405	63.617	76.777	76.490	114.511	122.764	153.767	132.668	131.138	110.033
केरल	6.904	6.253	6.820	7.112	6.506	8.822	6.694	6.653	7.420	7.402
मध्य प्रदेश	1.544	1.527	1.614	1.614	45.916	41.292	47.657	57.067	62.995	72.664
महाराष्ट्र	33.333	87.050	146.435	177.846	44.936	38.591	38.310	218.873	230.741	367.985
मणिपुर	16.400	16.400	16.400	16.400	3.080	6.170	6.065	6.053	5.684	5.584
मेघालय	12.831	12.525	15.671	16.324	3.277	3.299	3.311	3.490	3.375	3.474
मिजोरम	22.990	24.700	25.130	27.816	28.890	29.820	29.820	29.510	29.820	29.823
नगालैंड	5.000	8.540	10.772	10.147	2.067	2.037	1.861	1.834	1.838	1.813
ओडिशा	17.549	35.759	44.148	43.065	43.600	43.615	43.615	43.615	43.615	68.825
पंजाब		2.711	2.627	3.191	3.191	3.191	3.754	3.469	3.300	3.339
राजस्थान	0.464	0.391	0.258	0.374	0.643	0.473	0.450	0.222	0.431	1.234
सिक्किम	4.680	5.870	5.020	5.680	5.680	5.680	15.994	16.037	15.464	15.525
तमिलनाडु	174.775	117.416	105.002	115.351	129.563	73.134	92.361	96.254	97.830	104.403
तेलंगाना		252.061	216.268	184.285	305.097	294.561	345.270	386.596	319.760	330.257
त्रिपुरा	6.590	6.590	6.590	6.590	11.069	10.080	2.016	2.046	2.049	2.074
उत्तर प्रदेश	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	1.913	1.913	2.361	6.639
उत्तराखण्ड	2.485	2.485	1.740	1.738	1.749	2.790	2.836	2.950	2.962	3.039
पश्चिम बंगाल	39.400	42.000	40.240	42.408	45.500	44.700	45.458	45.648	48.183	50.938
पांडिचेरी	0.009	0.005	0.002	0.004	0.018	0.024	0.015	0.033	0.032	0.024
अंडमान और निकोबार	0.470	0.470	0.470	0.470	0.265	0.210	0.313	0.204	0.262	0.251

स्रोत: सुपारी और मसाला विकास निदेशालय, कोझिकोड

दिनांक 7 दिसम्बर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

ऑटोमोबाइल का निर्यात

61. श्री प्रतापराव जाधव:

श्री रवि किशन:

श्री रविन्दर कुशवाहा:

श्री सुब्रत पाठक:

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

श्री सुधीर गुप्ता:

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

श्री बिद्युत बरन महतो:

श्री मनोज तिवारी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान ऑटोमोबाइल, विशेषकर कारों के निर्यात में कमी पर ध्यान दिया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश से निर्यात की गई कारों सहित ऑटोमोबाइल की ऑटोमोबाइल-वार संख्या कितनी है;
- (घ) देश से ऑटोमोबाइल के निर्यात को बढ़ावा देने में सरकार को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है;
- (ङ) क्या सरकार ने ऑटोमोबाइल का निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यातकों को कोई प्रोत्साहन दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) सरकार द्वारा ऑटोमोबाइल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ग): पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कारों सहित भारत से ऑटोमोबाइल का निर्यात नीचे दिया गया है

(वाहनों की संख्या)

श्रेणी	2019-20	2020-21	2021-22
यात्री कारें	4,75,801	2,64,907	3,74,986
उपयोगी वाहन	1,83,468	1,37,842	2,01,036
वैन	2,849	1,648	1,853
कुल यात्री वाहन	6,62,118	4,04,397	5,77,875
एम एंड एचसीवी	22,333	17,548	32,181

एलसीवी	38,046	32,786	60,116
कुल व्यवसायिक वाहन	60,379	50,334	92,297
तिपहिया वाहन	5,01,651	3,93,001	4,99,730
स्कूटर	3,69,998	2,32,020	3,50,330
मोटरसाइकिलें	31,35,548	30,42,453	40,82,442
मोपेड	13,859	8,313	10,246
कुल दुपहिया वाहन	35,19,405	32,82,786	44,43,018
क्वाडरीसाइकिल	5,185	3,529	4,326
कुल योग	47,48,738	41,34,047	56,17,246

(स्रोत: एसआईएएम)

उपरोक्त तालिका के आंकड़ों से पता चलता है कि ऑटोमोबाइल की कुल संख्या का निर्यात 2020-21 में 41,34,047 से बढ़कर 2021-22 में 56,17,246 हो गया, जिसमें 35.9% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। इसमें से कारों सहित यात्री वाहनों का निर्यात 2020-21 में 4,04,397 से बढ़कर 2021-22 में 5,77,875 हो गया, जिसमें 42.9% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

(घ): कोविड और यूक्रेन-रूस संघर्ष के बाद आपूर्ति में व्यवधान के कारण चिप्स/सेमी-कंडक्टर की कमी थी।

(ड) और (च): भारत सरकार ऑटोमोबाइल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सक्रिय उपाय कर रही है, जिसमें शामिल हैं:

- (i) कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए विदेश व्यापार नीति (2015-20) को 31-03-2023 तक बढ़ा दिया गया है।
- (ii) अग्रिम प्राधिकार पत्र, निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल स्कीम, निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट से संबंधित स्कीम (आरओडीटीईपी) आदि जैसी विभिन्न स्कीमें उपलब्ध कराई गई हैं।
- (iii) भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों की सक्रिय भूमिका को बढ़ाया गया है और निर्यात निगरानी के लिए निर्यात पोर्टल तक पहुंच प्रदान की गई है।
- (iv) आरबीआई ने भारतीय रुपये में चालान, भुगतान और व्यापार निपटान के लिए अतिरिक्त व्यवस्था स्थापित करने का निर्णय लिया है।
- (v) भारत सरकार ने हाल ही में अन्य लोगों तक ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए अनुकूल बाजार पहुंच प्रदान करने के लिए यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौतों सहित मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- (vi) भारत सरकार ने पांच साल की अवधि में 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को मंजूरी दी है।
- (vii) भारतीय मोटर वाहन मानकों को वैश्विक मानकों के साथ सुमेलित करने के लिए सरकार ने समय-समय पर विभिन्न विनियमों को अधिसूचित किया है।

दिनांक 07 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए
चावल का निर्यात

165. श्री बी.बी. पाटिल:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान चावल का निर्यात किया गया है;
- (ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार किन देशों को और किस किस्म का चावल का निर्यात किया गया है;
- (ग) उक्त अवधि के दौरान चावल के निर्यात से अर्जित राजस्व का किस्म-वार ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने बासमती चावल के अलावा अन्य किस्म के चावल के निर्यात के लिए कोई कदम उठाया है/उठाने का विचार है; और
- (ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग) जी हां। बासमती और गैर-बासमती सहित चावल के निर्यात का विवरण, साथ ही पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन देशों को चावल का निर्यात किया गया उसका विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(घ) और (ड.) गैर-बासमती चावल जैसी कृषि वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देना एक सतत प्रक्रिया है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्त संगठन, अपनी स्कीम "एपीडा की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन योजना" के विभिन्न घटकों अर्थात् आधारभूत संरचना विकास, गुणवत्ता विकास और बाजार विकास के तहत गैर-बासमती चावल के निर्यातकों सहित अपने अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

एपीडा ने गैर-बासमती चावल सहित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात हेतु परीक्षण और विश्लेषण सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत भर में राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) प्रत्यायित 234 प्रयोगशालाओं को मान्यता दी है। एपीडा निर्यात परीक्षण और अवशिष्ट निगरानी योजनाओं के लिए मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के उन्नयन और सुदृढीकरण के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। बासमती और गैर-बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा के तत्वावधान में एक निर्यात संवर्धन मंच (ईपीएफ) भी स्थापित किया गया है। एपीडा गैर-बासमती चावल सहित चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विदेशी बाजारों में भारतीय निर्यातकों के लिए क्रेता-विक्रेता बैठकें भी आयोजित करता है।

सरकार के इन प्रयासों से, पिछले तीन वर्षों में चावल का निर्यात 51.03% बढ़ा है अर्थात् 2019-20 में 6403.25 मिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2021-22 में 9571.12 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है।

अनुबंध

भारत का बासमती चावल का निर्यात			
	मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में		
देश	2019-20	2020-21	2021-22
ईरान	1246.02	590.67	818.36
सऊदी अरब	955.89	951.99	646.22
इराक	433.92	499.62	400.49
अमीरात	209.17	203.59	221.11
यमन रिपब्लिक	195.65	278.32	183.95
अमेरिका	181.26	194.57	183.86
कुवैत	201.05	168.26	128.86
यूके	103.79	139.50	116.73
ओमान	75.87	88.69	73.32
कतर	64.95	96.47	64.19
कनाडा	61.33	70.83	63.10
जॉर्डन	67.25	62.94	57.15
इजराइल	43.00	52.38	50.22
ऑस्ट्रेलिया	51.99	64.51	49.63
मलेशिया	34.45	39.36	46.62
मिस्र ए आरपी	20.98	25.26	38.62
नीदरलैंड	45.07	68.10	36.06
बहरीन आईएस	32.45	37.59	32.51
मॉरीशस	30.64	31.32	24.48
दक्षिण अफ्रीका	19.03	17.87	16.48
अन्य देश	298.24	336.57	285.54
कुल	4372.00	4018.41	3537.49

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

भारत का गैर-बासमती चावल का निर्यात			
	मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में		
देश	2019-20	2020-21	2021-22
बांग्लादेश पीआर	12.12	350.97	613.95
बेनिन	195.90	442.97	531.39
चीन पी आरपी	0.78	103.70	496.65
नेपाल	245.30	405.26	461.49
कोटे डी आइवरी	107.70	260.30	322.65
सेनेगल	67.49	304.88	311.91
टोगो	107.90	283.02	293.99
गिनी	120.41	224.50	243.81
वियतनाम सोशल रिपब्लिक	0.78	90.15	231.10
मेडागास्कर	3.69	127.22	188.84
श्रीलंका डीएसआर	1.98	1.13	167.67
कैमरून	3.49	57.68	165.04
ज़िंबूवी	69.04	113.18	156.50
सोमालिया	122.95	127.63	154.96
लाइबेरिया	79.94	126.27	124.57
मलेशिया	28.62	174.37	121.84
संयुक्त अरब अमीरात	130.92	142.64	116.24
अंगोला	13.62	40.57	95.73
मोज़ाम्बिक	4.51	69.26	88.77
दक्षिण अफ्रीका	51.90	90.59	73.65
अन्य देश	662.19	1274.49	1172.86
कुल	2031.25	4810.80	6133.63

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

दिनांक 07 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

छोटे रबड़ उत्पादक

176. श्री वी.के. श्रीकंदन:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केरल के छोटे पैमाने के रबड़ उत्पादक लेटेक्स की कीमतों को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं क्योंकि गिरती कीमतों का उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि शीट बनाने हेतु राजसहायता देने की रबड़ बोर्ड की पहल का वांछित प्रभाव नहीं पड़ा, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि रबड़ उत्पादक लेटेक्स की कीमतों में गिरावट से निपटने के लिए लेटेक्स उत्पादन के एक-चौथाई हिस्से के निर्यात की अनुमति देने की मांग कर रहे थे; और

(घ) यदि हां, तो वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान निर्यात किए गए लेटेक्स की कुल मात्रा कितनी है और रबड़ बोर्ड द्वारा निर्यात किए गए लेटेक्स पर रबड़ उत्पादकों को कितना प्रोत्साहन प्रदान किया गया है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) नवंबर 2022 के दौरान लेटेक्स के निर्यात के लिए रबड़ बोर्ड द्वारा नया प्रोत्साहन घोषित किए जाने के बाद, सेन्ट्रीफ्यूग्ड लेटेक्स (60% डीआरसी) की कीमत 04.11.2022 को हाल की न्यून कीमत 81.35 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 30.11.2022 को 97.20 रुपये प्रति किग्रा. हो गई है।

(ख) रबड़ बोर्ड ने दिसंबर 2021 से फरवरी 2022 की अवधि के दौरान फील्ड लेटेक्स को शीट रबड़ ग्रेड में परिवर्तन करने के लिए प्रोत्साहित करने की पहल की थी। इसका उद्देश्य शीट रबड़ की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना था, जो घरेलू रबड़ उद्योग द्वारा उपभोग किया जा रहा प्रमुख रबड़ ग्रेड है। यह उस समय घोषित किया गया था जब दस्ताना उद्योग से बढ़ती मांग के कारण घरेलू लेटेक्स की कीमतों में वृद्धि हो गयी थी। इस पहल से शीट रबड़ के उत्पादन के संवर्धन में

सहायता मिली और उत्पाद को शीट रबड़ में संसाधित किए बिना लेटेक्स के रूप में बेचने की प्रवृत्ति कम हुई ।

(ग) और (घ) प्राकृतिक रबड़ के किसी भी ग्रेड के निर्यात और किसी भी मात्रा में लेटेक्स के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। भारत ने अप्रैल-अक्टूबर 2022 के दौरान 1526 एम.टी. रबड़ का निर्यात किया जिसमें 919 एम.टी. लेटेक्स ग्रेड थी। इस अवधि के दौरान 'भारतीय प्राकृतिक रबड़' ब्रांड के तहत 295.5 टन लेटेक्स का निर्यात किया गया।

बोर्ड ब्रांडिंग में अन्तर्गस्त अतिरिक्त लागत को पूरा करने हेतु ब्रांडेड रबड़ 'भारतीय प्राकृतिक रबड़' ब्रांड के तहत एक सहायता कार्यक्रम लागू कर रहा है । यह सहायता शीट रबड़ के लिए 0.50 रुपये/किग्रा, तकनीकी रूप से विनिर्दिष्ट रबड़ के लिए 0.25 रुपये/किग्रा और 60% लेटेक्स के लिए 0.20/किग्रा की दर से प्रदान की जाती है। 1 नवंबर, 2022 से 60% लेटेक्स के लिए अतिरिक्त सहायता बढ़ाकर 2 रुपये/प्रति किग्रा. डीआरसी कर दी गई हैं।

.....